राजस्व वाद 115/2019
जीसीएमएस नंबर 2019/00171
जयनारायण बनाम् गजेसिंह वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 115/2019

वादीगण–

1. जयनारायण पुत्र रामचन्द्र, जाति–नाई, निवासीगण–छावटा खुर्द, तहसील–जायल,नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. गजेसिंह पुत्र मोहनसिंह
2. हिम्मतसिंह पुत्र मोहनसिंह
3. जेठू कंवर पत्नी मोहनसिंह
जातियान–राजपूत, निवासीगण–छावटा खुर्द, तहसील–जायल,नागौर।
4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री इन्द्रसिंह राठौड़ वादीगण की ओर से
2. श्री इस्लामुदीन काजी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री इन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हाजरी श्री इस्लामुदीन काजी व प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर माफिक तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव संख्या 21 दिनांक 15.11.2021 प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प ग्राम पंचायत टांगला के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी जयनारायण पुत्र रामचन्द्र के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छावटा खुर्द का खेत खसरा नंबर 328 रकबा 1.9101 अर्थात 11.16 बीघा सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 गजेसिंह, हिम्मतसिंह, , जेठू कंवर के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छावटा खुर्द का खेत खसरा नंबर 315 रकबा 16.10 बीघा 2.6709 हैक्टेयर सम्पूर्ण रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

15/11/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner